

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

झारखण्ड राज्य सरकार

१/९

आदेश पत्रक ता० १९/०७/१९ से

तक

जिला- बोकारो

केश सं०- ०६/२०१९-२०

विकास कुमार साव शं व शं

केश का प्रकार-

Confiscation case

आदेश क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
१९/०७/२०१९	पुलिस अधीक्षक, बोकारो के पत्रांक-1479/हि०शा०, दिनांक 15.07.2019 के द्वारा सूचित किया गया है कि बी०एस०सिटी थाना काण्ड सं०-234/18 दिनांक-05.09.2018 धारा 414/34 भा०द०वि० एवं 07 ई०सी० एक्ट के अन्तर्गत वादी श्री अरुण कुमार सिंह, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, बी०एस०सिटी के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर गाड़ी चालक विकास कुमार साव पिता स्व० सोहन साव पता जामाडोवा, थाना जोरापोखर जिला धनबाद एवं गाड़ी मालिक अखिलेश कुमार गुप्ता पिता रामबाबु गुप्ता पता जोरापोखर स्टेशन रोड भागा बाजार थाना जोरापोखर जिला धनबाद के विरुद्ध प्रतिवेदित हुआ है। काण्ड में जप्त वाहन सं०-जे०एच०१०ए०एफ०/2976 एवं वाहन पर लोड 100 बैग (50 क्विंटल) चावल को माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जप्त कर एफ०सी०आई० गोदाम में रखा गया है। कांड पुलिस उपाधीक्षक नगर, बोकारो के द्वारा समर्पित पर्यवेक्षण टिप्पणी सह अंतिम प्रगति प्रतिवेदन में यह कांड धारा 414/34 भा०द०वि० एवं 07 ई०सी० एक्ट के अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्त टाटा-407 गाड़ी सं०-जे०एच०१०ए०एफ०/2976 के चालक विकास कुमार साव पिता स्व० सोहन साव सा० जामाडोवा थाना जोरापोखर जिला धनबाद एवं मालिक अखिलेश कुमार गुप्ता पिता राम बाबु गुप्ता पता स्टेशन रोड भागा नियर रेलवे माल गोदाम थाना जोरापोखर जिला धनबाद के विरुद्ध सत्य पाया है एवं कांड में जप्त गाड़ी सं०-जे०एच०१०ए०एफ०/2976 एवं जप्ती सूची के अनुसार जप्त चावल को धारा 7 ई०सी० एक्ट के तहत अधिहरण करने की अनुशंसा की गयी है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट एवं विश्वास का कारण है कि उक्त चावल अधिक मुनाफा कमाने हेतु कालाबाजारी में विक्रय करने के लिए अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था जो आवश्यक वस्तु अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन एवं दण्डनीय अपराध है। चूँकि चावल नाशवान वस्तु है एवं एक ही स्थान पर अधिक दिनों तक रहने से सहज ही नष्ट होने की सम्भावना बनी रहती है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में संतुष्ट होकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) (2) के अन्तर्गत शक्ति का प्रयोग करते हुए आदेश देता हूँ कि बी०एस०सिटी थाना काण्ड सं०-234/18 दिनांक-05.09.2018	

धारा 414/34 भा0द0वि0 एवं 07 ई0सी0 एक्ट के अन्तर्गत द्वारा जब्त 100 बैग (50 किंचटल) चावल सरकारी दर पर अथवा नियमानुसार निलामी के द्वारा शीघ्र विक्री करवाने की व्यवस्था अनुमण्डल पदाधिकारी चास अपनी देख-रेख में सुनिश्चित करेंगे तथा प्राप्त राशि नजारत में जमा रखेंगे। तदनुसार आदेश निर्गत करें।

बी0एस0सिटी थाना काण्ड सं0-234/18 दिनांक-05.09.2018 धारा-7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत विपक्षी के विरुद्ध दायर किया गया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए विपक्षी को आदेश दिया जाता है कि वे दिनांक-13/08/2019 को 1.00 बजे अपराहन स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कारण पृच्छा प्रस्तुत करें कि क्यों नहीं उक्त अनियमितता के कारण जब्त चावल को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) के अन्तर्गत अधिहरण कर लिया जाय।

नोटिस की प्रति पुलिस अधीक्षक, बोकारो को तामिला हेतु प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्ता-सह जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो

समाहर्ता-सह जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो

13/08/19

डिमीय पक्ष को नोटिस निवेदित शह से
गैजा गया था, जो बिना तामिला के ही वापस
हो गया है।

प्रोपरी पक्ष को दण्ड कार्य के अन्तर्गत है।

तब 30/08/19

प्रोपरी पक्ष

30/08/19

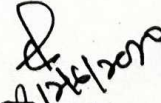
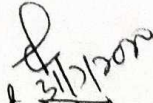
माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड सैन्टी के
मुख्य न्यायाधीश का आदेशानुसार निम्न के जाने के
कारण न्यायालय कार्य नहीं हो सका।

तब 27/09/19

प्रोपरी पक्ष

19/08/19
20/08/19
SDO Jas
20/08/19
20/08/19
to party

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
22/09/19	विपरीत सं०-७ की ओर से जप्त वाहन के विगुमि हेतु सआवेदन दायर किया गया है। जीएसटी पट्टा अन्य कार्य में व्यस्त है। To 22/09/19 <i>[Signature]</i> प्रमुख पट्टा	
22/10/19	द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। जीएसटी पट्टा अन्य कार्य में व्यस्त है। To 22/10/19 <i>[Signature]</i> प्रमुख पट्टा	
26/11/19	द्वितीय पक्ष की वकालत अजिब है। जीएसटी पट्टा चुनाव कार्य में व्यस्त है। To 10/01/2020 <i>[Signature]</i> प्रमुख पट्टा	
10/01/2020	संयुक्त जिला आपूर्ति पट्टा बोली अनुमति-सर-पणन पट्टाधिकारी, बी.एन. गिरि के पत्रांक-60/आठ दिनांक - 07/01/2020 के द्वारा जप्त सामग्री को निलामी के आदेश से बिब्री घरे संबंधी प्रतिकेदन प्राप्त है। द्वितीय पक्ष की ओर से वकालत अजिब है। जीएसटी पट्टा अन्य कार्य में व्यस्त है। To 24/01/2020 <i>[Signature]</i> प्रमुख पट्टा	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्टवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
24/01/2020	द्वितीय पक्ष से वकालतन हाजिरी है जीएसटी पक्ष 0 अन्य कार्य के ज्ञात है To 18/02/2020	 प्रमुख पक्ष 0
18/02/2020	द्वितीय पक्ष अनुपस्थित जीएसटी पक्ष 0 अन्य कार्य के ज्ञात है To 17/03/2020	 प्रमुख पक्ष 0
17/03/2020	द्वितीय पक्ष से शीट से वकालतन हाजिरी के साथ एक आवेदन दायित्व किया गया है जीएसटी पक्ष 0 अन्य कार्य के ज्ञात है To 28/04/2020	
28/04/2020	कोरोना वाइरस के संक्रमण को रोकने के लिए दिये गए Lock down के कारण न्यायालय कार्य नहीं हो सका To 12/06/2020	 प्रमुख पक्ष 0
12/06/2020	द्वितीय पक्ष अनुपस्थित जीएसटी पक्ष 0 अन्य कार्य के ज्ञात है To 31/07/2020	
31/07/2020	द्वितीय पक्ष अनुपस्थित जीएसटी पक्ष 0 अन्य कार्य के ज्ञात है To 04/09/2020	 प्रमुख पक्ष 0

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
04/09/2020	द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। जीएसटीन पक्ष0 अन्य कार्रवाई में व्यस्त है। To 20/10/2020	[Signature] प्रमुख पक्ष0
20/10/2020	द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। जीएसटीन पक्ष0 अन्य कार्रवाई में व्यस्त है। To 11/12/2020	[Signature] प्रमुख पक्ष0
11/12/2020	द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। जीएसटीन पक्ष0 अन्य कार्रवाई में व्यस्त है। To 05/01/2021	[Signature] प्रमुख पक्ष0
05/01/2021	द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। जीएसटीन पक्ष0 अन्य कार्रवाई में व्यस्त है। To. 05/02/2021	[Signature] प्रमुख पक्ष0
05/02/2021	द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। Put up on. 26/02/2021	[Signature] प्रमुख पक्ष0
26/02/2021	द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। Put up on 23/03/2021	[Signature]
23/03/2021	द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। जीएसटीन पक्ष0 अन्य कार्रवाई में व्यस्त है। To 26/03/2021	[Signature] प्रमुख पक्ष0

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
26/03/2021	द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। जीएसटीन पक्ष० अन्त रात्रि में जाग्रत है। To 06/04/2021	
06/04/2021	द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। जीएसटीन पक्ष० अन्त रात्रि में जाग्रत है। To 16/04/2021	प्रार्थी पक्ष०
16/04/2021	द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। जीएसटीन पक्ष० अन्त रात्रि में जाग्रत है। To 28/05/2021	प्रार्थी पक्ष०
28/05/2021	द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। जीएसटीन पक्ष० अन्त रात्रि में जाग्रत है। To 06/07/2021	प्रार्थी पक्ष०
06/07/2021	द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। जीएसटीन पक्ष० अन्त रात्रि में जाग्रत है। To 03/08/2021	प्रार्थी पक्ष०
03/08/2021	द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। जीएसटीन पक्ष० अन्त रात्रि में जाग्रत है। To 31/08/2021	प्रार्थी पक्ष०
31/08/2021	द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। जीएसटीन पक्ष० अन्त रात्रि में जाग्रत है। To 21/09/2021	प्रार्थी पक्ष०
	द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। जीएसटीन पक्ष० अन्त रात्रि में जाग्रत है। To 21/09/2021	प्रार्थी पक्ष०

आदेश की क्रम संख्या आर तारीख	आदेश और पदाधिकारी के हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख ग्रहित
<u>21/09/2021</u>	द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। जीएसटीन पक्ष 0 अन्त सभी में स्थापित है। To 29/10/2021 प्रमाण पत्र	
<u>29/10/2021</u>	द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। जीएसटीन पक्ष 0 अन्त सभी में स्थापित है। To 07/12/2021 प्रमाण पत्र	
<u>07/12/2021</u>	द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। जीएसटीन पक्ष 0 अन्त सभी में स्थापित है। To 17/12/2021 प्रमाण पत्र	
<u>17/12/2021</u>	द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। अभिलेख का अवलोकन किया गया। द्वितीय पक्ष पिछले एक वर्षों से अधिक अवधि से लगातार अनुपस्थित है। स्पष्ट है कि उन्हें इस वाद में कोई रुचि नहीं है। अतः रुचि के अभाव में वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है एवं जप्त सामग्री को राज्य सरकार के हित में राज्यस्तान किया जाता है। लेखापत्र एवं संग्रहित। 17/12/2021 समाहर्त-सर-जिला कडा 0 समाहर्त-सर-जिला कडा 0 बोकरो। बोकरो।	